कार्यालय– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हमीरपुर

पत्रांकः 6898-6902 / बे0शि0 / 2018–19 दिनांकः 07/01/19

प्रबन्धक,

एस0पी0आर0डी0 पब्लिक स्कूल गहरौली,
विकास खण्ड–मुस्करा, जनपद– हमीरपुर UDISE -

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय,

आपके **तारीख 26.10.2018** के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं, **एस0पी0आर0डी0 पब्लिक स्कूल गहरौली विकास खण्ड–मुस्करा, जनपद– हमीरपुर** को (अंग्रेजी माध्यम) कक्षा नर्सरी से 08 तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है–

1– उपरोक्त की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रुप में कक्षा 08 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं हैं।

2– विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010, (उपवंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3– विद्यालय कक्षा 01 में बालकों की संख्या के 20 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4– पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5– सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहक नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6– विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

- प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
- किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न कि अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
- प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
- प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।
- अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिया जाए।
- अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगें।
- अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकालापों में नियोजित नहीं करेंगें।

7– विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के अधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

Scanned with OKEN Scanner

8– विद्यालय अधिनियम की धारा 49 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा।
अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट कीगई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है–
विद्यालय परिसार का क्षेत्रफल–
कुल निर्मित क्षेत्र–
क्रीडास्थल का क्षेत्रफल–
प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भण्डार के लिए कक्ष–
बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौंचालय–
पेयजल सुविधा–
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई–
अवरोधरहित पहुंच–
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्ताकलय उपलब्धता–

9– विद्यालय के परिसरों भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेंगी।

10– विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ारथल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11– विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किसी सोसायटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12– स्कूल को किसी व्यष्टि/व्यष्टियों के समूह य संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।

13– विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14– आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या..10/07/19................है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्रकार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15– विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16– सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।

17– संलग्न उपाबंधों के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(सतीश कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
हमीरपुर

पृ0सं0/ /2018–19 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिःनिम्नाकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहावाद।
2– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), चित्रकूट धाम/झांसी मण्डल।
3– जिला समाज कल्याण/जिला अल्पसंख्यक कल्याण/जिला पिछड़ावर्ग कल्याण अधिकारी, हमीरपुर।
4– सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद–हमीरपुर।

(सतीश कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
हमीरपुर

Scanned with OKEN Scanner